सत्यमेव जयते
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून / Directorate of Forest Education, Dehradun
डाकघर: न्यूफॉरेस्ट, देहरादून - 248 006 (उत्तराखंड) / PO - New Forest, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)
दूरभाष / Tel. : 0135 - 2750127, 2757326 | ई-मेल / E-mail : dfe-dehradun@gov.in | वैबसाइट / Website : www.dfe.gov.in

LiFE Lifestyle for Environment

सं.4-547/Trg.-II/DFT-2012/Part-II/138-143 दिनाँक:22 04.2026

## संशोधित कार्यालय आदेश

राज्य वन सेवा (SFS) अधिकारियों के लिए दो वर्षीय अधिष्ठापन (Induction) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षण व्यय के पुनरीक्षण के संबंध में इस निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 4-547/प्रशि.-II/डीएफटी-2012/भाग-II/3347-52 दिनांक 17.10.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य वन सेवा के केन्द्रीय अकादमियों से प्रशिक्षण दरों में वृद्धि के संबंध में प्राप्त अनुरोधों एवं प्रशिक्षण इनपुट, लॉजिस्टिक्स, आवास, यात्रा लागत एवं अन्य संबंधित सेवाओं की लागत में निरंतर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारु एवं प्रभावी संचालन के लिए वर्तमान दरों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

अतः राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004 के नियम 30, खंड-IV के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दो वर्षीय अधिष्ठापन (Induction) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (वानिकी में डिप्लोमा) की संपूर्ण अवधि हेतु प्रति प्रशिक्षु विभिन्न मदों के संशोधित दर निम्नानुसार अधिसूचित किए जाते हैं:

| क्रम सं. | विवरण | संशोधित दरें |
|---|---|---|
| 1 | ट्यूशन शुल्क | ₹1,75,000/- |
| 2 | भ्रमण व्यय[1] | ₹7,00,000/- प्रति प्रशिक्षु |
| 3 | उपकरण भत्ता | ₹1,25,000/- |
| 4 | संस्थागत शुल्क | ₹1,00,000/- |
| | **कुल** | **₹11,00,000/-** |

*प्रवेश, प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रस्थान तथा अवकाश/छुट्टी के दौरान यात्रा व्यय को छोड़कर।

उपरोक्त संशोधित दरें इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी तथा इस तिथि के पश्चात प्रारंभ होने वाले सभी राज्य वन सेवा अधिष्ठापन पाठ्यक्रमों पर लागू होंगी।

### अन्य निर्देश

1. **सावधि धनराशि (वापसी योग्य):** ₹10,000/- प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा प्रवेश के समय जमा की जाएगी। पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर शेष बकाया समायोजित करने के उपरांत यह राशि संबंधित अकादमी द्वारा वापस की जाएगी।
2. **वृत्ति (Stipend):** यदि किसी राज्य सरकार द्वारा अधिकारी प्रशिक्षु को वेतन के स्थान पर वृत्ति दी जा रही है, तो यह राशि ₹53,100/- प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए।
3. **यात्रा अधिकार:** शासकीय भ्रमण के दौरान आवास एवं यात्रा व्यय भारत सरकार की टी.ए. नियमावली तथा संबंधित ग्रेड पे स्तर की पात्रता के अनुसार देय होंगे। यदि निधि की कमी हो तो अकादमी द्वारा कम दरें अपनाई जा सकती हैं, परंतु अपरिहार्य उच्च व्यय की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी।
4. **उपकरण एवं अन्य सामग्री:** राज्य वन सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों एवं प्रशिक्षण सामग्रियों की सांकेतिक सूची **परिशिष्ट–I** के रूप में संलग्न है। यह सूची संकेतात्मक है, तथा प्रशिक्षण

आवश्यकताओं के अनुसार संस्थानाध्यक्ष विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। सभी क्रय भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) के अनुरूप होंगे और क्रय समिति में संबंधित बैच के तीन प्रशिक्षु प्रतिनिधि शामिल होंगे।

5. **भ्रमण व्यवस्था:** संकाय सदस्यों एवं अधिकारी प्रशिक्षुओं के स्वीकृत भ्रमणों हेतु वाहन किराया, रेल/वायु टिकट एवं होटल आवास आदि पर होने वाला व्यय "भ्रमण व्यय" मद से वहन किया जाएगा।
6. **संस्थागत शुल्क का उपयोग:** OE मद में धन की कमी होने पर दो वर्षीय अधिष्ठापन पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक दायित्वों हेतु अनुबंधित कर्मियों की नियुक्ति पर व्यय "संस्थागत शुल्क" से किया जा सकेगा।
7. **छात्रावास एवं उपयोगिता सेवाएँ:** प्रशिक्षण अवधि के दौरान (भ्रमण, OJT एवं अवकाश अवधि को छोड़कर) बिजली, पानी, छात्रावास उपभोग्य सामग्री, आईटी सुविधाएँ एवं अन्य प्रशिक्षण सेवाओं पर होने वाला व्यय "संस्थागत शुल्क" से वहन किया जाएगा।
8. **अनुबंधित संकाय:** व्याख्याता/वैज्ञानिक पद रिक्त होने या विशिष्ट मॉड्यूल हेतु आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से अनुबंधित संकाय की सेवाएँ ली जा सकती हैं। व्यय "संस्थागत शुल्क" से किया जा सकेगा।
9. **लेखांकन एवं वापसी:** सभी अकादमियों के प्राचार्य भारत सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार प्रत्येक मद का लेखा-जोखा रखेंगे। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के तीन माह के भीतर शेष या अधिक व्यय की राशि प्रायोजक प्राधिकारी को लौटाई या उनसे प्राप्त की जाएगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

निदेशक वन शिक्षा

**प्रतिलिपि:**

1. सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के वन सचिव।
2. सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)।
3. निदेशक, भारतीय वन प्रबंधन अकादमी (IGNFA), जानकारी हेतु।
4. उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय राज्य वन सेवा अकादमी, देहरादून/कोयंबटूर/बर्निहाट को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अभिलेख हेतु।

**Annexure-I**

| Indicative List of Equipment & other items to be provided to SFS Officer Trainees | | |
|---|---|---|
| **S.N.** | **Item** | **Approx cost (Lump Sum)** |
| **Category -A Uniform Accessories & Field kit items** | | |
| 1 | Sport Shoe, Lower White for Ladies, White Short for Gents, White T-shirt for Ladies & Gents, Track Suit with Academy Logo for ladies & Gents - 02 Sets, Badminton Racket - I No. | 10000 |
| 2 | Grey Full Pant & Full shirt 2 pair, White shirt & Grey Pant - Ladies Dress 2 pair ( White Kameej & Grey Salwar with Grey Dupatta), Grey Woolen Pullover No 1, Socks (Black & White 3 pair), Black Shoe & Trekking shoe 1 pair | 12000 |
| 3 | Blazer (Navy Blue) with Academy logo | 5000 |
| 4 | French Curves | 500 |
| 5 | Academy Tie/Scarf | 500 |
| 6 | Rain Suit/ Umbrella | 750 |
| 7 | Khukri with Knife and Cover & Torch | 750 |
| 8 | Belt & ID card | 1000 |
| 9 | Rucksack & Sleeping Bag / Trolley bag | 3500 |
| 10 | Water Bottle | 1000 |
| 11 | Hunter Shoe (Field Shoe) | 3000 |
| 12 | Knap sack | 1000 |
| 13 | Hiking Stick | 500 |
| 14 | Yoga Mat | 500 |
| 15 | Field Uniform-camouflaged full pant & shirt with cap - 2 sets | 5000 |
| **Category -B Stationary & Books** | | |
| 16 | Survey Stationaries, Drawing Box, Set Squire & Measuring Tape, Forestry Books for SFS Officer as per their requirement | 10000 |
| **Category -C Misc Items** | | |
| 17 | Motor Driving Training | 3000 |
| 18 | Contingent Expenditure on Annual Sports Meet Shared by all trainees for common benefit/use of trainees | 5000 |
| 19 | Academy Annual Function/Convocation shared by trainees for common benefits/use of trainees | 5000 |
| **Category -D Equipments** | | |
| 20 | Items of common use printer, cartridge, photos,copies/Fax/Scanner | 4000 |
| 21 | Binocular | 8000 |
| 22 | Computer consumable harddrive, pendrive, sheets etc | 5000 |
| 23 | Other Equipments & Items | 40000 |
| **Total Expenditure SFS Training** | | **125000** |

Note* The cost are indicative only and are subject to variations

Raj Kumar Bajpai
Director Forest Education